



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04092024-256887
CG-DL-E-04092024-256887

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3456]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 3, 2024/भाद्र 12, 1946

No. 3456]

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 3, 2024/BHADRA 12, 1946

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 सितम्बर, 2024

का. आ. 3786(अ).—केंद्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3अ की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, की अधिसूचना संख्या का. आ. 2067 (अ) तारीख - 21 मई, 2024, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खण्ड-3, उपखण्ड (ii), में प्रकाशित की गई थी, द्वारा महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 66 के 281/300 कि.मी. से 332/200 कि.मी. तक (कांटे से वाकेड सेक्शन) के भूखण्ड के निर्माण (चार लेन का बनाने/चौड़ा करने), अनुरक्षण, प्रबन्ध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3अ की उपधारा (3) के अधीन 22 जून, 2024 तारीख को " दैनिक तरुण भारत " और 22 जून, 2024 तारीख को " दैनिक गोवा टाइम्स " में प्रकाशित किया गया था ;

जबकि सक्षम प्राधिकारी को धारा 3-ग के तहत दायर आपत्ति प्राप्त हुई है, जिस पर विचार किया गया है और उसका उचित रूप से निपटान किया गया;

और उक्त अधिनियम की धारा 3ड की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियां का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3ड की उपधारा (2) के अनुसरण में, यह घोषणा करती है कि

इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि, सभी विल्लंगमों से मुक्त हो कर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के रत्नागिरी जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 66 के 281/300 कि.मी. से 332/200 कि.मी. तक (कांटे से वाकेड सेक्शन) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: महाराष्ट्र			जिले का नाम: रत्नागिरी		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/ हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: लांजा					
गांव का नाम: कुर्णे					
1	363 / 5 पार्ट	निजी	नॉन एग्रीकल्चर	0.2109	मे सौरभ अँगो प्रॉडक्ट प्रो प्रा सौरभ अजय गोडबोले 363/5 Part
Total				0.2109	

[फा. सं. RW/NH-37014/20/2013-NHDP-IV A/3D]

अभय जैन, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd September, 2024

S.O. 3786(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, Department of Road Transport and Highways number S.O.2067 (A) Dated 21 May, 2024 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening / four-laning, etc.) , maintenance, management and operation of National Highway No 66 on the stretch of land from Km. 281/300 to Km. 332/200 (Kante - Waked Section) in district of Ratnagiri in the State of Maharashtra.

And whereas the substance of the said notification has been published in ``Dainik Tarun Bharat`` dated the 22 Jun, 2024 and ``Dainik Goa Times`` dated 22 Jun, 2024 under sub - section (3) of section 3A of the said Act ;

And whereas the Competent Authority has received objections filed under Section 3-C, considered and settled the same appropriately;

And in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose ;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure. Falling within the stretch of land from Km 281/300 to Km. 332/200 (Kante - Waked Section) on the National Highway No. 66 in the State of Maharashtra.

State: MAHARASHTRA			District: RATNAGIRI		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Hectares)	Name of Land Owner/Interested Person
1	2	3	4	5	6
Taluk: Lanja					
Village: Kurne					
1	363 / 5 Part	Private	Non Agriculture	0.2109	M Saurabh Agro Product Pro Pra Saurabh Ajay Godbole 363/5 Part
Total				0.2109	

[F. No. RW/NH-37014/20/2013-NHDP-IV A/3D]

ABHAY JAIN, Director